

## भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT Office of the Director General of Audit West Central Railway, Jabalpur



लेप/हिंदी/जबल/प्रोत्साहन योजना/

दिनांक 20/06/2025

## परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: कार्यालय में वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

Incentive scheme for performing the official work (Noting/drafting) originally in Hindi during the year 2025-26 in the office.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क.-2) दिनांक 16 फरवरी 1988 एवं सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष में कम से कम बीस (20) हजार शब्द हिंदी में लिखे हों। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में किए गए इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जायेंगे।

Official Language Policy of Ministry of Home Affairs, Govt. of India is based upon motivation, encouragement and goodwill. An incentive scheme has been implemented by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs vide O.M. No. II/12013/3/87-O.L.(imp-2) dated 16.02.1988 and No. 12013/01/2011-O.L.(Imp.) dated 14.09.2016 (copy enclosed) for noting and drafting originally in Hindi. Under this scheme, Officers/officials who have drafted/noted at least Twenty (20) Thousand words in Hindi during a year, will be eligible for the incentive. Besides noting/drafting originally in Hindi, other relevant official works i.e entry in register, preparation of list, work related to accounts may also be included.

इस योजना के तहत भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में उनके द्वारा हिंदी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद प्रस्कार दिए जाएंगें-

Officers participating under this scheme will be awarded with cash prize on the basis of work done in Hindi by them in a year as per given below:

प्रथम पुरस्कार/	02 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize
First Prize	-	@ ₹ 5,000/-
द्वितीय पुरस्कार/	03 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize
Second Prize		@ ₹ 3,000/-
तृतीय पुरस्कार/	05 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize
Third Prize		@ ₹ 2,000/-

मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा हेतु तथा 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे। जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तिमल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया होगी उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंको का लाभ दिया जाएगा। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किए गए हिंदी कार्य का रिकार्ड संलग्न प्रपत्र के अनुसार संबंधित अनुभाग/ प्रकोष्ठ में रखा जाए एवं और मूल्याँकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राजभाषा अनुभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक प्रेषित किया जाए। हिंदी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं पुरस्कारों का निर्णय गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

There will be 100 marks for the evaluation. Out of this, 70 marks will be for quantum of work performed in Hindi and remaining 30 marks for the clarity of the thoughts. Participants whose mother tongue is Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Odia and Assamese will get benefit up to 20 percent. The record of the Hindi work done under the incentive scheme should be kept in the concerned section/cell as per the prescribed format and should be sent to Hindi Section by **April** 30, 2026 to be presented before the Evaluation Committee. Work performed in Hindi will be evaluated by the Evaluation committee and incentive for the same will be decided by the Evaluation Committee and their decision in this regard will be final.

योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड हिंदी में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा में रखें। संबंधित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत रिकार्ड को साप्ताहिक आधार पर संबंधित अनुभाग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित किया जाना वांछित है। वित्त वर्ष 2025-26 के समाप्ति के उपरांत, ऐसे सभी रिकॉर्ड मूल्यांकन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

Officers/officials willing to take part in the scheme are requested to keep their records in the prescribed enclosed proforma in respect of their work performed in Hindi. After verification by the concerned Assistant Audit Officer, the same is required to be countersigned by the Senior Audit Officer of concerned section on weekly basis. After completion of F.Y. 2025-26, all such records will be produced before committee for evaluation.

संलग्नक: प्रपत्र।

Enclosed: Proforma

-हस्ता-

उपनिदेशक

Deputy Director

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित Copy forwarded for information and necessary action to:

- 1- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (समस्त अनुभाग)
- 2- वरि. मंडल लेखापरीक्षा अधिकारी (जबलपुर, भोपाल एवं कोटा)
- 3- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, निर्माण, जबलप्र, भोपाल, कोटा
- 4- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, स.डी.प्.का, भोपाल
- 5- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, का.व.भं, कोटा

उपर्युक्त सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि इस परिपत्र में निहित <u>अंतर्वस्तु</u> को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाए।

All the above Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ officials working under their control.

6- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी, ई.डी.पी. से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Sr. Audit Officer, EDP is requested to kindly upload this circular to the office's website.

- 7- सूचना पट्ट /Notice Board
- 8- गार्ड फाइल/ Guard file

सहायक निदेशक (राजभाषा) Assistant Director (O.L.)